

# **स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

## **प्रेस नोट संख्या: 55, दिनांक: 18—02—2023**

**अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में  
पेपर आऊट कराने का झाँसा देकर ठगी करने वाले गैंग के 03  
सदस्य जनपद बलिया से गिरफ्तार।**

दिनांक 18—02—2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद बलिया से अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती में पेपर आऊट कराने का झाँसा देकर ठगी करने वाले गैंग के 03 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—**

- 1— उपेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव नि0 जीउटपुरा, रष्टाटाट, थाना उभांव, जनपद बलिया,
- 2— मार्कन्डेय यादव पुत्र श्रीकान्त यादव नि0 चक महमूद, थाना उभांव, जनपद बलिया,
- 3— स्वतंत्र यादव पुत्र विजय यादव नि0 ढेरवरा, थाना रामपुर, जनपद मऊ।

### **बरामदगी:—**

- 1— 04 अदद मोबाइल फोन
- 2— 03 अदद ए0टी0एम0 कार्ड
- 3— 01 अदद आधार कार्ड
- 4— 05 अदद एडमिट कार्ड,
- 5— 02 सैट उत्तर पुस्तिका
- 6— रु0 20060 /—नगद,
- 7— बुलेरो कार नं0 यू0पी0—07—ए0पी0—3812
- 8— एक अदद हीरो मोटर साइकिल यू0पी0—54—ए0एम0—0386

**गिरफ्तारी का स्थान व समय:—**दिनांक 18—02—2024, स्थान: बस स्टैण्ड बेलथरा रोड के सामने, टाऊन प्लाजा होटल, थानाक्षेत्र उभांव, जनपद बलिया। समय 13:40 बजे।

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से अन्तर्राज्यीय स्तर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व प्रस्तावित उ0प्र0पु0 सिपाही भर्ती परीक्षाओं में धाधली करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय होने के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि टाऊन प्लाजा होटल, बस स्टैण्ड बेलथरा रोड के सामने जनपद मऊ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व उ0प्र0पु0 सिपाही भर्ती परीक्षाओं में पेपर आऊट कराने का झाँसा देकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग सक्रिय हैं, जो आज पैसे व अन्य प्रमाणपत्र लेने टाऊन होटल में आये हैं। इस सूचना के आधार पर निरीक्षक श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जावेद आलम, मुख्यआरक्षीगण मृत्युंजय सिंह, जसवन्त सिंह, कविन्द्र साहनी, चन्द्र प्रकाश मिश्र, मुनेन्द्र सिंह व आरक्षीचलक कुमलेश की एक टीम जो आपराधिक अभिसूचना संकलनद हेतु जनपद मऊ में मौजूद थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत

कराते हुए साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आऊट का झाँसा देकर अभ्यर्थियों से पैसा वसूलते हैं। एडवांस में दो लाख रुपये ले लेते हैं और सिलेक्शन होने की दशा में 12 लाख तय करते हैं। यदि किसी का चयन हो जाता है तो उससे और पैसा प्राप्त कर लेते हैं। चयन न होने की दशा में उनसे खर्च के नाम पर पैसा काट कर एडवांस दे देते हैं। यह काम हम लोग काफी दिनों कर रहें। केवल पैसा हड़पने के उद्देश्य से हमी लोग फर्जी पेपर बनाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना उभाव, जनपद बलिया में मु0अ0सं0 55/2024 धारा-419/420/467/468/471 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्तर पर की जा रही है।